



इन्दिरा गौधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:—Q.A./13/2020/ **11** /Accom. Sec.

दिनांक—10/02/2026

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत Prof. (Dr.) Ranjit Guha, Principal, Medical College, IGIMS को उनके अनुरोध पत्र दिनांक 29.01.2026 के आलोक में आवास सं० Old E Type- 2/4 तत्काल प्रभाव से आवंटित किया जाता है।

आवंटित आवास अधीक्षण अभियंता, अभियंत्रण शाखा अधीक्षण अभियंता कार्यालय (सिविल) से सम्पर्क कर अधिग्रहण की जाए। विद्युत आपूर्ति हेतु संस्थान के विद्युत विभाग से संपर्क कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।

आवंटित आवास आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर अधिग्रहण से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करें। अन्यथा आपका आवास रद्द किया जा सकता है एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

विशेष निर्देश:-

- (1) आवंटित आवास में सिविल कार्य (मरम्मत एवं पेंटिंग) के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) से संपर्क करें।
- (2) आवंटित आवास में विद्युत कार्य एवं विद्युत आपूर्ति के लिए अभियंत्रण शाखा, अधीक्षण अभियंता कार्यालय में कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता (विद्युत) से संपर्क करें।

ह०/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना

दिनांक—10/02/2026

ज्ञापांक:— Q.A./13/2020/ **11** /Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- Prof. (Dr.) Ranjit Guha, Principal, Medical College, IGIMS/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/02/26

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना-14

Recd
13/02/26



इन्दिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा पटना-14

(बिहार सरकार के एक स्वयंशायसी संस्थान)

ACCOMMODATION SECTION

पत्रांक:-Q.A./59/2024/12/Accom. Sec.

दिनांक- 10/02/2026

कार्यालय आदेश

सक्षम पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत दीपशिखा, स्पीच थेरेपिस्ट, इ०एन०टी० को इनके अनुरोध पत्र के आलोक में दिनांक 01/02/2025 को आवास सं० बी० टाईप- 3/1 आवंटित हुआ था। आवास आवंटन के समय उक्त आवास में मरम्मत एवं नवीकरण का कार्य चल रहा था। मरम्मत एवं नवीकरण के कार्य में काफी समय लगने की वजह से उक्त आवास का अधिग्रहण एवं स्वीकृतार्थ इनके द्वारा नहीं किया गया और न ही इंजीनियरिंग सेल (सिविल) उक्त आवास का हैंड ओभर किया।

आवास आवंटन के नियमानुसार इन्हें आवंटित आवास सं० बी० टाईप- 3/1 रद्द माना जाएगा, क्योंकि 15 दिनों के अंदर आवंटित आवास से संबंधित स्वीकृति पत्र देकर अद्योहस्ताक्षरी को सूचित नहीं की और न ही अधीक्षण अभियंता (सिविल) से टेकर ओभर प्रमाण पत्र प्राप्त की। अतः इसलिए इनका आवास भत्ता नहीं काटा जाए एवं काटा गया आवास भत्ता (दिनांक 01/02/2025 से अभी तक का) इन्हें वापस किया जाए एवं भविष्य में एक वर्ष के लिए आवंटन हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

उक्त पर सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना

दिनांक-10/02/2026

ज्ञापांक:- Q.A./59/2024/12/Accom. Sec.

प्रतिलिपि:- दीपशिखा, स्पीच थेरेपिस्ट, इ०एन०टी०/निदेशक कोषांग/चिकित्सा अधीक्षक कोषांग/अधीक्षण अभियंता (सिविल)/कार्यपालक अभियंता (विद्युत)/सुरक्षा पदाधिकारी/प्रशासन शाखा/लेखा शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (बायोमेडिकल) को कार्यालय आदेश वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Handwritten signature
10/02/26

डॉ० (प्रो०) संजय कुमार सुमन
अध्यक्ष, आवास सलाहकार समिति
इ०गो०आयु०सं०, पटना-14

Handwritten signature
10/02/26